

Shri N. C. Chatterjee: I am only pointing out that the application of rule 30(1), which makes it obligatory that this motion will lapse and shall have to be balloted again, that can be got rid of if you suspend that rule under rule 388. So, with your permission, I could move under rule 388 that the operation of rule 30(1) be suspended with regard to the motion moved by Dr. Singhvi.

Mr. Deputy-Speaker: That can be done only when notice is given and it is circulated to Members. Now most of the members are not here.

Shri N. C. Chatterjee: The rule is very clear. You can dispense with any rule. Rule 388 says:

"Any member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried the rule in question shall be suspended for the time being."

Mr. Deputy-Speaker: I am not prepared to suspend the rule.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : आप को स्मरण होगा कि गोआ के सम्बन्ध में पिछली बार श्री मोनाबने का इसी प्रकार का एक प्रस्ताव था। हाउस की सेंशन से उस को स्थगित कर दिया गया था और दूसरे प्रस्ताव को ले लिया गया था। मेरा मुझाव है कि हाउस की राय ले ली जाए और अगर हाउस सहमत हो तो इस को स्थगित कर दिया जाए।

Mr. Deputy-Speaker: You can move a motion for adjournment. But it has to be balloted.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : चटर्जी साहब पहले ही मोगन कर चुके हैं।

Dr. L. M. Singhvi: If it is a motion for adjournment then all those consequences which you have mentioned

will follow. But here the motion is for the suspension of the rule. Otherwise, this discussion will be lost and will have to get priority in a fresh ballot.

Shri N. C. Chatterjee: Under rule 388, I move:

"That rule 30(1) may be suspended in its application to the resolution moved by Dr. L. M. Singhvi."

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं इस का समर्थन करता हूँ।

Mr. Deputy-Speaker: Is it the pleasure of the House that this rule should be suspended in its application to the motion moved by Dr. Singhvi?

Some hon. Members: Yes.

Mr. Deputy-Speaker: All right. That rule is suspended.

Dr. L. M. Singhvi: I take it to mean that the discussion of my resolution will continue on the next day allotted for Private Members' Resolutions.

Mr. Deputy-Speaker: We will now take up the next Resolution standing in the name of Shri Prakash Vir Shastri.

16.58 hrs.

RESOLUTION RE: SESSION OF PARLIAMENT AT BANGALORE OR HYDERABAD

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संसद का एक अधिवेशन दक्षिण भारत में हैदराबाद अथवा बंगलौर में नहीं किया जाए। यह मांग पीछे बहुत दिनों से चली आ रही है। दक्षिण भारत की बहुत सी इस प्रकार की समस्याएँ हैं जिन से हम अब तक अपरिचित हैं। संसद का अधिवेशन देश के एक ही भाग में होता है और इसी कारण से भाषा सम्बन्धी जो कुछ कठिनाइयाँ

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]
पीछे उत्पन्न हुई उन की दृष्टि से भी संसद का अधिवेशन दक्षिण भारत में करना आवश्यक है। ऐसा न होने से हम आज तक उन की भावना से अपरिचित रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि अगर संसद का एक अधिवेशन दक्षिण भारत के किसी प्रमुख नगर में होने लगेगा तो भारतवर्ष के— जो कि एक विशाल देश है—विभिन्न प्रदेशों में आपस में सांस्कृतिक आदान-प्रदान का मार्ग भी खुल जाएगा। इसलिये देश की एकता की दृष्टि से भी संसद का एक अधिवेशन बंगलौर या हैदराबाद में करना वांछनीय होगा।

तीसरा मेरा यह प्रस्ताव लाने का कारण यह है कि दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में यह भावना है कि चूंकि संसद का अधिवेशन उत्तर भारत में ही होता है इसलिए जिन बातों की वहां चर्चा होती है वे अधिकतर उत्तर भारत से सम्बन्धित ही होती हैं। वहां के लोगों का विचार है कि अगर दक्षिण भारत में भी संसद का एक अधिवेशन होने लगा तो संसद वहां की समस्याओं से अधिक परिचित होगी और उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा सकेगा। इसलिए

मेरा अनुरोध है कि देश की एकता को ध्यान में रख कर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए।

पिछली बार जब संसद में इस विषय पर प्रस्ताव आया था तो उस समय संसद कार्य मंत्री ने कहा था कि ऐसा करने से अनेकों कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी और उन के कारण कुछ आर्थिक भार भी देश पर पड़ जायेगा। उसी समय मैंने कहा था कि देश की एकता को ध्यान में रखते हुए अगर कुछ आर्थिक भार भी देश पर पड़ता है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

Mr. Deputy-Speaker: Now it is 5 O'Clock. He will continue his speech the next day. As Shri Nath Pai is not here, there is no half an hour discussion today.

17 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 15, 1965/Phalgun 24, 1886 (Saka).